संख्या-18/7/98-स्थापना (वेतन-I)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक दिसंबर, 15, 1998

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः- मूल नियम 35 के अंतर्गत स्थानापन्न वेतन सीमित रखे जाने संबंधी स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल नियम 35 में निहित प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, किसी स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी का वेतन, मूल नियमों के तहत उसे देय धनराशि से कम नियत कर सकती है । तदनुसार, ऐसी परिस्थितियां दर्शाते हुए जिनके अंतर्गत और ऐसी सीमा का उल्लेख करते हुए जिस तक मूल नियम 35 के प्रावधान लागू होंगे, इस बारे में समय-समय पर आदेश जारी किए जाते रहे हैं । इस विभाग के दिनांक जुलाई 29, 1987 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-18/26/86-स्था0(वेतन-I) में चौथे केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर इस बारे में सीमाएं निर्धारित की गई हैं । पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप, इन सीमाओं को संशोधित किए जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और इस बारे में राष्ट्रपति यह तय करते हैं कि सामान्य समय में, संवर्ग के भीतर ही पदोन्नति पर की गई ऐसी नियुक्ति के मामलों में जो नियमित आधार पर नहीं की गई हो, मूल नियम 35 के तहत वेतन इस प्रकार सीमित रखा जाए कि मूल वेतन संशोधित वेतनमानों में नीचे दर्शाई गई धनराशि से अधिक नहीं हो:-

(क)	8000/-रुपये प्रतिमास से अधिक मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के संबंध में ।	मूल वेतन का 12-1/2 % - अधिकतम 1000/-रुपये प्रतिमास ।
(ख)	8000/-रुपये प्रतिमास तक मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के संबंध में ।	मूल वेतन का 15 % - अधिकतम 1000/-रुपये प्रतिमास ।

2. नई दरें उस तारीख से लागू होंगी जिस तारीख से कोई कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के अनुसार लागू संशोधित वेतनमान में वेतन ले ।

3. यह भी तय किया गया है कि जिन मामलों में ऊपर दर्शाए गए तरीके से किसी कर्मचारी का वेतन पदोन्नति संबंधी पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन से अधिक आए अथवा न्यूनतम आए उनमें कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन लेने दिया जाए तथा ऐसे किसी मामले में कर्मचारी की नियमित संवर्ग-पदोन्नति के संबंध में मूल नियम 35 के तहत स्थानापन्न वेतन संबंधी सीमा लागू नहीं की जानी चाहिए जिनमें पदोन्नत होने वाला कोई कर्मचारी पदोन्नति के विचारण-क्षेत्र में आता हो और भर्ती नियमों में पदोन्नति हेतु निर्धारित पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूरी करता हो ।

....2/-

4. जहाँ तक भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा-विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

जे. विल्सन 15.12.98
(जे0 विल्सन)
भारत-सरकार के उप सचिव

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग संलग्न मानक सूची के अनुसार ।

सं0-18/7/98-स्थापना(वेतन-1) दिनांक दिसंबर 15, 1998

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उसके नियंत्रणाधीन सभी राज्यों को (400 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
2. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त-मंत्रालय ।
3. सचिव, संघ-लोक-सेवा-आयोग/उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय / प्रधान मंत्री-कार्यालय/योजना-आयोग ।
4. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग (अखिल भारतीय सेवा प्रभाग)/संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य विवाचन/प्रशासन अनुभाग ।
5. अपर सचिव (संघ शासित प्रदेश), गृह-मंत्रालय ।
6. सभी राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश ।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13 सी, फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली ।
8. संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग/प्रशासनिक सुधार तथा लोक-शिकायत-विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण-विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
10. वित्त-मंत्रालय, व्यय-विभाग ।
11. 3000 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

जे. विल्सन 15.12.98
(जे0 विल्सन)
भारत-सरकार के उप सचिव